अपील सूचना अधिकार संख्या 130/2020 (GCMS 2020/00218) संदीप कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी मकान नम्बर 36(ए), रेलवे मण्डी, होशियारपुर – 146001 (पंजाब) (49F-595365) बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर 2. लोकसूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरपाल सिंह सुधन उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2020 के द्वारा एक बिन्दु की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से खोजबीन कराकर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी संदीप कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2020 को अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

पौंग बांध विस्थापित – श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री आज्ञा रामजी, जाति ब्राह्मण निवासी गांव खटियाड़, तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को या उक्त रमेश चन्द्र पुत्र श्री आज्ञा रामजी के उत्तराधिकारी को भूमि आवंटन करने के लिए की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सतर्कता/विविध/2020/6109 दिनांक 29.10.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपील संख्या 130/2020 अनवानी संदीप कुमार बनाम 1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.) श्रीगंगानगर 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्त.) श्रीगंगानगर तारीख पेशी 3.11.2020 का सम्बन्ध सतर्कता शाखा से नहीं है। अपीलोतर प्रस्तुत कर निवेदन है कि संख्य 130/2020 में प्रत्यार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्त.), श्रीगंगानगर के नाम को हटाए जाने का आदेश फरमाया जावे क्योंकि सूचना का अधिकार का प्रार्थना पत्र इस शाखा में प्राप्त/डील नहीं हुआ है।

अपीलोतर सादर प्रस्तुत है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )सू.का.अ. राजस्व/2020/102 दिनांक 06.01.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयंक आपके संदर्भित पत्र के क्रम में प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार प्रेषित है :

प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2020 में प्रार्थी द्वारा इस शाखा की किसी पत्रावली अथवा पत्र का संदर्भ अंकित नहीं किया गया था, तो प्रार्थी के प्रकरण को पौंग बांध विस्थापित श्री रमेश चन्द पुत्र श्री आज्ञा राम के नाम से तलाश किया गया तो उक्त नाम का प्रकरण बाद तलाश जानकारी में नहीं आया। इसी आधार पर श्री संदीप कुमार को पत्रांक 2566 दिनांक 02.09.2020 (फोटो प्रति संलग्न) जारी किया गया था।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके पश्चात श्री संदीप कुमार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नयी दिल्ली में प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में उपनिवेशन विभाग, जयपुर के पत्रांक प.6(73)उप/2020 दिनांक 02.09.20 (फोटो प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय प्राप्त हुआ। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने प्रकरण का पूर्ण संदर्भ अंकित किया हुआ था। इसके आधार पर शाखा अभिलेख में प्रार्थी के प्रकरण को देखा गया तो पाया गया कि सहवन से यह प्रकरण रमेश कुमार पुत्र आशाराम के नाम दर्ज है। (फोटो प्रति संलग्न)। उपनिवेश विभाग, जयपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रार्थी के प्रकरण में कार्यवाही की गयी, प्रकरण में विवेचन के पश्चात एवं पौंग बांध विस्थापितों को भूमि आवंटन हेतु जिला श्रीगंगानगर में विवाद रहित सिंचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी का प्रकरण इस कार्यालय के पत्रांक एफ12(2)(28/70)राजस्व/2012/2736–40 दिनांक 16.09.2020 (फोटो प्रति संलग्न) से आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु प्रेषित किया जाकर, इस कार्यालय स्तर से प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि श्री संदीप कुमार को भी प्रेषित की गयी थी।

उक्तानुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति प्रेषित कर माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन है कि प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करने का आदेश फरमायें।

संलग्न :— पत्रानुसार

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध **में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008 अवलोकनीय** है जिसमें निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :

> **सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से ये अपेक्षित नही है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं हैं।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचनाओं के सम्बन्ध में दिंनाक 16.09.2020 से जवाब दिया जा चुका है जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील यहां खारिज की जाती है। अपीलार्थी आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर